न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 10/24 GCMS NO 2024/14

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. नाथू पुत्र हरि
2. शंकर पुत्र हरि
3. चतुर्भुज पुत्र रामप्रसाद
4. बलराम पुत्र रामप्रसाद
5. लटूर पुत्र हरिनारायण समस्त जातियान मीना निवासीयान जीनापुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 104/22 निर्णय व डिकी दिनांक 20.7.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 पैरोकार सरकार

अभिभाषक रैस्पो0 श्री पारस मल जैन

दिनांक 27.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 20.7.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र उदघोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी पूर्व ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा ग्राम जीनापुर जो कि हम वादी के पूर्वजो के समय से ही हम वादीगण के कब्जे मे चली आ रही है अर्थात वादीगण के पूर्वज सुखपाल बल्द गज्या एवं लूण्या बल्द मंगला मीना के नाम खतौनी बंदोबस्त बीस साला सम्वत 2009 से 2023 के कॉलम न0 4 मे बतौर खातेदार मुद्वत कदीम के रूप मे अंकन हो रहा है कि जो ही बंदोबस्त बीस साला के पहले से ही उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान हम वादीगण काबिज चले आ रहे है। तथा जागीर रिज्यूम होने के पश्चात उक्त आराजी पर हम वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कोई अधिकार नही रहा है। उक्त आराजी का इन्द्राज [illegible] 20[illegible] लटूर ,हरि,रामप्रसाद पिसरान सुखपाल 1/2, लटूर पुत्र हरनारायण मीना 1/2 सा. दे[illegible]बर के रूप मे चलता रहा था। लूण्या द्वारा लटूर पुत्र हरिनारायण को [illegible] की मृत्यु पश्चात उसके हिस्से के संबंध मे राजस्व रिकार्ड मे लू[illegible] पुत्र हरिनारायण का [illegible] किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया था तथा लूण्या के हिस्से पर लूण्या के समय से ही लटूर पुत्र हरिनारायण का कब्जा चला आ रहा है। इस तरह उक्त आराजी हम वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। किन्तु बाद मे बिना किसी अधिकार के कतई गलत ढंग से क्षैत्राधिकार के बाहर जाते हुए उक्त आराजी को प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया जो कतई गलत है। किन्तु उक्त आराजी पर कब्जा लगातार वादीगण का पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है। प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है ना ही वर्तमान मे है। आराजी ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के सेटलमेंट ने नवीन नम्बर 389 रकबा 0.49 है0, 390 रकबा 0.36 है0, 391 रकबा 1.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2. 05 है0 दर्ज है। पूर्व ख0न0 64 वादीगण के पूर्वजो के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोबस्त बीस साला सम्वत 2009 से 2023 मे दर्ज है तथा उसमे माफी के रूप मे माफी मंदिर गोपाल जी बहतमाम पुजारी धॉसीलाल बल्द कल्याण वक्श ब्राहम्ण का नाम दर्ज है। इस तरह वादीगण के पूर्वजो का नाम खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2009 से 2023 मे तथा बीस साला मे खातेदार कृषक होने के कारण उक्त भूमि माफी के रूप मे दर्ज होने के कारण जागीर रिजम्शन एक्ट के प्रभाव मे आने के कारण भूमि खालसा हो जाने के कारण कानूनी रूप से उक्त भूमि पर जो व्यक्ति जागीर रिजम्पशन के समय माफी की भूमि पर बतौर कृषक दर्ज था उसे खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके थे इस कारण वादीगण के पूर्वज सुखपाल बल्द गज्या, लूण्या बल्द मंगला का नाम बतौर कृषक बंदोबस्त बीस साला सम्वत 2009 लगायत 2023 मे दर्ज होने के कारण तथा काबिज काश्त होने के कारण वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे कि जिस भूमि पर वादीगण के पूर्वजो के समय से ही वादीगण वतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। सुखपाल बल्द गज्जा, लूण्या बल्द मंगला के पश्चात उक्त आराजी का इन्द्राज सुखपाल के वारिस लटूर ,हरि,रामप्रसाद तथा लूण्या के वारिस लटूर पुत्र हरिनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड जमा मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुका था जो इन्द्राज लगातार राजस्व रिकार्ड मे चलता रहा। इस तरह उक्त आराजी मे वादी संख्या 1व 2 का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है। जिस तरही ही वादीगण उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी कभी भी माफी की खुदकाश्त की आराजी नही रही है तथा वादीगण उक्त आराजी के स्वत: ही वाई आपरेशन आफ लॉ जागीर रिज्म्शन एक्ट की धारा 9 एवं 12 के तहत भी खातेदार काश्तकार हो चुके है। राज्य सरकार एवं माननीय न्यायालयो द्वारा समय समय पर यह निर्धारित किया है कि बंदोबस्त बीस साला अर्थात सम्वत 2009 लगायत 2023 मे माफी की भूमि के संबंध कृषक के रूप मे यदि किसी का नाम खातेदार कृषक के रूप मे दर्ज है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेगे। अर्थात उस कृषक की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती। परन्तु गलत रूप से प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर दिया गया। जो निरस्त योग्य है। प्रतिवादी के स्थान पर वादीगण का नाम अपने उपरोक्त हिस्से के अनुसार बतौर खातेदार दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी है। राजस्व मंडल द्वारा जारी परिपत्र वर्ष 2007 मे एवं 2010 मे [illegible] हुआ है जिसमे यह स्पष्ट रूप से माना है कि जागीरो के अधिग्रहण के [illegible] व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार अथवा खादिमदार के [illegible] पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरण अधिकार प्राप्त है ऐसी भूमियो को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड मे ऐसे व्यक्तियो का नाम निरन्तर खातेदार के रूप मे दर्ज रहेगा। इस तरह उक्त विवादित आराजीयात किसी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही रही है। बल्कि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप अधिनियम लागू होने से पूर्व सुखपाल बल्द गज्जा, लूण्या बल्द मंगला मीना उक्त भूमि पर उपभोक्ता खातेदार के रूप मे काबिज काश्तकार था तथा उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही रही है। इस कारण प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नही है बल्कि वादीगण ही उक्त भूमि के खातेदार काश्कार है। जो इन्द्राजात लगातार 17 वर्ष तक चलते रहे है इस कारण प्रतिवादी के नाम किये गये इन्द्राज कतई गलत होने से निरस्त योग्य है तथा उक्त आराजी वादीगण के नाम बतौर खातेदार उनके उपरोक्त वर्णित हिस्से के अनुसाद दर्ज होने योग्य है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड उनके नाम होने से गलत ढंग से हो रहे इन्द्राज के आधार पर आराजी को अन्य किसी को हस्तान्तरित करने पर आमादा है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। इस प्रकार उक्त आराजीयात के प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राज को हटाकर वादीगण के नाम उपरोक्त हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजीयात मे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधी से करावे तथा भूमि को हस्तान्तरित नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने सें व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जीनापुर की जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 के खाता संख्या 92 मे दर्ज साबिक खसरा न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा सुखपाल पुत्र गज्या, लटूर पुत्र हरिनारायण जाति मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम जीनापुर की सम्वत 2021 से 2024 के खाता संख्या 82 मे दर्ज ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा सुखपाल पुत्र गज्जा, लटूर पुत्र हरनारायण जाति मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमे नामा0 संख्या 152 के द्वारा सुखपाल की विरासत लटूर ,हरि,रामप्रसाद पिसरान सुखपाल हिस्सा 1/2 का नोट अंकित है। ग्राम जीनापुर की जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 के खाता संख्या 90 मे दर्ज ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा लटूर,हरि,रामप्रसाद पिसरान सुखपाल, लटूर पुत्र हरनारायण जाति मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2039 से 2042 के खाता संख्या 103 मे दर्ज खसरा न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा लटूर,हरि,रामप्रसाद पिसरान सुखपाल ,लटूर पुत्र हरनारायण जाति मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी सम्वत 2044 से 2047 मे खाता संख्या 112 मे दर्ज ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा मे लटूर,हरि,रामप्रसाद पिसरान सुखपाल लटूर पुत्र हरनारायण जाति मीना सा.देह के नाम दर्ज है। जिस पर उक्त खसरा नम्बर पर नामा0 संख्या 17 व 24 से लटूर,हरि,रामप्रसाद पिसरान सुखपाल का हिस्सा दी इलाहवाद बैंक रहन व नामा0संख्या 18 से उक्त ख0न0 मंदिर श्री गोपाल जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदार के नाम का नोट अंकित है। साबिक ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के हाल ख0न0 389 रकबा 0.49 है0, 390 रकबा 0.36 है0 तथा 391 रकबा 1.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 है0 बने है जो कि मंदिर श्री गोपाल जी खातेदार रहन दी इलाहवाद बैंक शाखा सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 के खाता संख्या 94 मे हाल ख0न0 389 रकबा 0.49, 390 रकबा 0.36, 391 रकबा 2.20 कता 3 रकबा 2.05 मंदिर श्री गोपाल जी खातेदार रहन दी इलाहवाद बैंक शाखा सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 के खाता संख्या 83 मे हाल ख0न0 389 रकबा 0.49, 390 रकबा 0.36, 391 रकबा 2.20 कता 3 रकबा 2.05 मंदिर श्री गोपाल जी खातेदार रहन दी इलाहवाद बैंक शाखा सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 79 मे हाल ख0न0 389 रकबा 0.49, 390 रकबा 0.36, 391 रकबा 2.20 कता 3 रकबा 2.05 मंदिर श्री गोपाल जी खातेदार रहन दी इलाहवाद बैंक शाखा सवाई माधोपुर के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा न0 104/22 मे पारित आदेश दिनांक 20.7.2023 की पालना मे ग्राम जीनापुर के हाल ख0न0 389,390,391 किता 3 रकबा 2.05 है0 मे मंदिर मूर्ति गोपाल जी के स्थान पर अपीलांट/प्रतिवादीगण नाथू पुत्र हरि,शंकर पुत्र हरि, चतुर्भुज पुत्र रामप्रसाद ,बलराम पुत्र रामप्रसाद लटूर पुत्र हरिनारायण के नाम नामा0 संख्या 750 दिनांक 14.8.23 को स्वीकृत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निर्देशित किये जाने पर अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार का डिले का विधिक कारण स्पष्ट नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र का जबाब पेश नही करने पर उनका जबाब बंद किया गया था। अब अपील करने का कोई औचित्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे 4 तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन कर ही निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चारो तनकीयात वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे निर्णित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपने निर्णय मे स्पष्ट अंकन किया है कि जागीर रिज्यूम्शन होने के बाद विवादित आराजीयात पर वादीगण/रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जागीर रिज्यूम होने के पश्चात ही वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप अधिनियम लागू होने से पूर्व सुखपाल बल्द गज्जा,लूण्या बल्द मंगला मीना उक्त भूमि पर उपभोक्ता खातेदार के रूप मे काबिज काश्तकार था। जो खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2009 से 2023 प्रदर्श 1 से स्पष्ट है। जिसमे रेस्पो0 के पूर्वज सुखपाल बल्द गज्जा व लूण्या बल्द मंगला अवकाम मीना सा.देह मु.कदीम का इन्द्राज है। जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 के कॉलम संख्या [illegible] सुखपाल पुत्र गज्जा व लटूर पुत्र हरिनारायण मीना सा.देह का अंकन [illegible] के नाम [illegible] इन्द्राज होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के अनुरूप ही पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी ख0न0 64 रकबा 8 बीघा 2 विस्वा ग्राम जीनापुर मे स्थित है। जिसके सेटलमेंट द्वारा नवीन खसरा न0 389 रकबा 0.49 है0, 390 रकबा 0.36 है0 तथा 391 रकबा 1.20 है0 कायम किये है। विवादित आराजीयात जागीर रिज्यूम्शन होने के बाद वादीगण/रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। वादी/रेस्पो0 को भूमि जागीर रिज्यूमशन अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप अधिनियम लागू होने से पूर्व सुखपाल बल्द गज्जा, लूण्या बल्द मंगला मीना उक्त भूमि पर खातेदार के रूप मे काबिज काश्तकार होने से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। जो खतौनी बंदोबस्ता सम्वत 2009 से 2023 ग्राम जीनापुर प्रदर्श 1 से स्पष्ट है जिसमे सुखपाल बल्द गज्जा, लूण्या बल्द मंगला अवकाम मीना सा.देह का अंकन है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 के कॉलम संख्या 5 मे भी सुखपाल पुत्र गज्जा व लटूर पुत्र हरिनारायण मीना सा.देह का अंकन है। जो वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज थे। इस प्रकार वादीगण/रेस्पो0 उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 104/22 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2023 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:33:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner